ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 177026 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्रीमती सलोचना देवी	01/04/2015 से 22/01/2016
2	श्री मोहिंदर कुमार	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र° सं	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01/04/2015 से 11/07/2016
2	श्री अश्वनी कुमार	12/07/2016 से 14/09/2016
3	श्री केवल कुमार	15/09/2016 से लगातार।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत नारा विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	20.43
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.13
3	9	मस्ट्रोल में अधिक भुगतान।	0.09
4	11	हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।	
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	2.92

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्या सागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-07-2018 से 16-07-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	08/2015	11/2015
2016-17	05/2016	03/2017
2017-18	12/2017	01/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.318 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"**को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-22 दिनांक 16/07/2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नारा से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि

को बैंक ड्राफ्ट संख्या 230801 दिनांक 18/07/2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति: -

ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति **परिशिष्ट–1** के अनुसार निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:-

ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के स्वस्त्रोतों के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	271193	110864	382057	84422	297635
2016-17	297635	421168	718803	358962	359841
2017-18	359841	188714	548555	205362	343193

(2) अनुदान:-

ग्राम पंचायत नारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के **परिशिष्ट-1** पर अनुसार निम्न प्रकार से है:-

5 बैंक समाधान विवरणी:

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	599594.00	2123221.10	2722815	1929262.28	793552.82
2016-17	793552.82	2995821.00	3789374	2291595.93	1497777.89
2017-18	1497777.89	3302872.00	4800650	2758064	2042585.64

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष:

स्व स्त्रौत:	₹343193
अनुदान:	₹2042586

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष:

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष:	**₹2385779**
दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष:	**₹2385329**
दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि :	**₹450**
कुल योग:	**₹2385779**
अन्तर की राशि:	**0**

क्रमांक संख्या	रोकड़ बही	बैंक	बैंक खाता संख्या:	राशि (₹)
1	GCB-A	KCCB	20046003339	342743
2	GCB-B	KCCB	20046003226	319506
3	IWMP	KCCB	20046003689	689
4	IWMP	KCCB	20046003690	68997
5	NBA	KCCB	50059214173	71423
6	14^{th} FC	PNB	1117001700001718	1581971
		कुल राशि		**2385329**

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹20.43 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹2042586 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों

हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख वसूली हेतु शेषः-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹12500 शेष थी। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित रूप से करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

मोबाइल टावर शुल्कः-

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	5000	5000	10000	5000	5000
2016-17	5000	5000	10000	0	10000
2017-18	10000	5000	15000	2500	12500

9 मस्ट्रोल संख्या 2605 दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

नि० कार्य "लिंक रोड़ लंबरदार के घर से महिला मण्डल नारा की तरफ" हेतु जारी मस्ट्रोल संख्या 2605 वा० सं० 11 दिनांक 17.11.2015 की जांच करने पर पाया गया कि इस मस्ट्रोल के अन्तर्गत कुल आठ श्रमिकों (1 मिस्त्री तथा 7 मजदूर) की हाज़िरी दर्शाकर 200(मिस्त्री 25 कार्यदिवस * @210/- + 175 कार्यदिवस @ 180/-) कार्यदिवसों के लिए ₹36750 के विरुद्ध तत्कालीन पंचायत प्रधान द्वारा अकेले ₹35,402 का प्रतिबंधित भुगतान आदेश पारित किया गया था। जबकि मस्ट्रोल में आठ के स्थान पर छः श्रमिकों के ही नाम दर्शाये गए थे। इस प्रकार मस्ट्रोल में बिना नाम दर्शाये गए दो श्रमिकों के पक्ष में 50 कार्य दिवसों हेतु (25 कार्यदिवस * 2 श्रमिक * @ 180/-) ₹9,000 का अधिक भुगतान किया गया है, यह एक गंभीर अनियमितता है। जिस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 23 दिनांक 16-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नारा से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत नारा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया l अत: ₹9,000 के किए गए अधिक भुगतान को पंचायत स्तर पर आवश्यक जांच उपरांत वास्तविक तथ्यों व आंकड़ों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त ₹9,000 के अधिक किए गए भुगतान की नियमानुसार उचित स्त्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए

पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केवल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया। इस के अतिरिक्त बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश के पारित किए ही किया गया है। भुगतान आदेश संबंधी नियम के प्रावधानों का पालन न करने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

क्र0 सं0	वाउचर संख्या / दिनांक	कैश बुक पेज	राशि (₹)	विवरण
1	08 से 10 / 17.11.2015	6	2207 35998 28600	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
2	11 / 17.11.2015	6	35402	प्रतिबंधित भुगतान आदेश केवल पंचायत प्रधान द्वारा अंकों में अंकित था।
3	12, 13 / 17.11.2015	6	7800 11810	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
4	14,15 / 17.11.2015	6	10390 19600	प्रतिबंधित भुगतान आदेश केवल पंचायत प्रधान द्वारा अंकों में अंकित था।
5	16,17 / 17.11.2015	6	1500 9300	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
6	18 / 17.11.15	6	5900	प्रतिबंधित भुगतान आदेश केवल पंचायत प्रधान द्वारा अंकों में अंकित था।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी भुगतानों की सूची बनाकर इस अनियमितता को सक्षम/उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने के उपरांत ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2 . 92 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹292299 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र. स.	**कैश बुक**	**वाउचर संख्या:**	**दिनांक/मास**	**सामग्री का विवरण**	**राशि ₹**
1	GCB	45	04/11/15	रेता,बजरी व पत्थर	15800
2	GCB	54	24/11/15	रेता,बजरी व पत्थर	12511
3	GCB	56	24/11/15	रेता,बजरी व पत्थर	23000
4	GCB	83	29/03/18	सैटरिंग	39270
5	14thFC	10	09/03/17	स्वच्छतासामग्री	11505
6	14thFC	12	24/03/17	भाड़ा	19000
7	14thFC	17	24/03/17	स्वच्छतासामग्री	5500
8	14thFC	19	24/03/17	बजरा व पत्थर	18370
9	MNERGA	68	03/2017	बजरा व पत्थर	16500
10	MNERGA	65	03/2017	बजरा व पत्थर	13500
11	MNERGA	67	03/2017	बजरा व पत्थर	14500
12	14thFC	9	17/11/15	बजरी, रेत,पत्थर	35998
13	14thFC	13	17/11/15	बजरी, रेत	11810
14	14thFC	15	17/11/15	एंगल फ्लैट, स्टील , जाली	19600
15	14thFC	17	17/11/15	बजरी,पत्थर,मिट्टी	9300
16	14thFC	49	12/01/18	बजरी	12091

17	14^{th}FC	50	12/01/18	सैटरिंग	3700
18	14^{th}FC	52	12/01/18	पाइपें 4”,चैम्बर	10344
				कुलराशि	**292299**

13 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है| परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए|

14 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के द्वारा दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

15 क्रय की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व

आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर 9 30		
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
4	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
5	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)		
6	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		ख
7	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (		ग)
8	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर 31 96 (1)		
9.	अनुदान रजिस्टर (सामान्य) नियम, 1997 8 34		
10.	यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
11	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव करना।		
12.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48		
13	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29 (4)

17 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :23 दिनांक 16-07-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत नारा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत नारा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अतः उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

18 ₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :23 दिनांक 16-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नारा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत नारा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (विनियम) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार

नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 23 दिनांक 16-07-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत नारा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत नारा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया I अतः अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)61 / 2018 खण्ड–1–6283–6286 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नारा विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता / –
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046